न्यायमूर्ति हरबंशलाल के समक्ष

रमेश चंदर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

सी.डब्ल्यू.पी. **3175/1991**

29 अगस्त**, 2008**

भारत का संविधान**, 1950**-अनुच्छेद– **226**-औद्योगिक विवाद अधिनियम**, 1947**- कलम **25**-जी और **25**-एच-औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम**, 1957**- रूल**.78**-दैनिक वेतनभोगी की छंटनी-याचिकाकर्ता की छंटनी के बाद नए उम्मीदवारों की नियुक्ति-याचिकाकर्ता को कोई नोटिस या सूचना नहीं जैसा कि रूल **78** के तहत आवश्यक है - एसएस के प्रावधानों का उल्लंघन। **25**-जी और **25**-एच के साथ-साथ नियम **78**-अधिकारी अन्य व्यक्तियों की तुलना में दैनिक वेतन के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं-याचिका ने उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश देने की अनुमति दी-हालांकि**,** याचिकाकर्ता किसी भी बकाया वेतन या मुआवजे का हकदार नहीं है।

निर्धारित किया गया है।कि छबीला और अन्य को याचिकाकर्ता की नियुक्ति के बाद नियोजित किया गया था। अधिनियम की धारा 25-जी में निहित सिद्धांत "पहले आओ आखिरी जाओ" है। यदि रिक्तियों की कमी के कारण याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं, तो उस स्थिति में, जब भी रिक्ति आती, लिखित रूप से सूचना भेजकर याचिकाकर्ता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। प्रतिवादी-अधिकारी दूसरों को नियुक्त नहीं कर सकते थे, जब छंटनी किए गए कर्मचारी यानी याचिकाकर्ता की सेवाएं उपलब्ध थीं। इस प्रकार, छबीला और अन्य की नियुक्तियाँ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। प्रतिवादी-अधिकारी याचिकाकर्ता को एक छंटनीग्रस्त कर्मचारी होने के कारण अन्य व्यक्तियों की तुलना में दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं। हालाँकि याचिकाकर्ता-कर्मचारी ने अपनी सेवा समाप्ति की तारीख से ठीक पहले 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी नहीं की थी, फिर भी उसकी छंटनी इस कारण से अमान्य कर दी गई थी कि उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखा गया था, जबकि उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत के मामले में ही 240 दिनों की सेवा की आवश्यकता आवश्यक है। याचिकाकर्ता की यह दलील कि उसे दूसरों को नियुक्त करने से पहले धारा 78 के तहत आवश्यक कोई पंजीकृत नोटिस जारी नहीं किया गया था, लिखित बयान में विशेष रूप से खंडित नहीं किया गया है। यदि ऐसा नोटिस जारी किया गया होता, तो उस डाक रसीद का संदर्भ होता, जिसके माध्यम से इसे भेजा गया था। इस प्रकार, कम से कम यह कहने के लिए, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 ने अधिनियम की धारा 25-जी और 25-एच के प्रावधानों के साथ-साथ नियम 78 का घोर उल्लंघन किया है। (पैरा 13)

मनीराम वर्मा, याचिकाकर्ता के वकील।

तरूणवीर वशिष्ठ, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए।

(हरबंस लाई, जे.)

(1) यह याचिका रमेश चंद्र द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दैनिक वेतन पर नियुक्त करने और छबीला, प्रतिवादी संख्या 4 और गजा नंद, प्रतिवादी संख्या 5 की नियुक्तियों को रद्द करने का निर्देश देने के लिए दायर की गई है यह याचिका रमेश चंद्र द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दैनिक वेतन पर नियुक्त करने और छबीला, प्रतिवादी संख्या 4 और गजा नंद, प्रतिवादी संख्या 5 की नियुक्तियों को रद्द करने का निर्देश देने के लिए तथा उसकी छँटनी को शून्य घोषित करने के लिए दायर की गई है ।

(2) इस याचिका को दाखल करने के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को जुलाई, 1988 में सब डिवीजन नंबर 3, डिवीजन नंबर 1, बोइस्टिंग स्टेशन धिराना में सार्वजनिक स्वास्थ्य में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 30 नवंबर, 1990 तक काल्पनिक ब्रेक के साथ उत्तरदाताओं नंबर 2 और 3 की देखरेख में काम करना जारी रखा। अपनी छंटनी से पहले, उन्होंने 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी की। 30 नवंबर, 1990 के बाद उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी गई और न ही उन्हें छंटनी मुआवजा दिया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, जहां याचिकाकर्ता ने काम किया, एक उद्योग होने के नाते, याचिकाकर्ता एक 'कर्मचारी' है और, इस तरह, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षिप्तता के लिए, अधिनियम) के प्रावधानों का लाभ पाने का हकदार है। उनकी छंटनी के बाद, प्रतिवादियों-अधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया है। छबीला और गजानंद प्रतिवादियों को भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनमें अन्य भी शामिल थे, जिनका विवरण याचिकाकर्ता को नहीं पता है। वे और कई अन्य, जिन्हें याचिकाकर्ता की छंटनी के बाद नियुक्त किया गया था, नए उम्मीदवार हैं। छबीला और गजानंद की नियुक्ति 1 जनवरी, 1991 को हुई थी और वे सेवा में बने हुए हैं। उन्हें नियुक्त करते समय, याचिकाकर्ता को औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 (संक्षेप में, नियम) के नियम 78 के तहत आवश्यक पंजीकृत डाक सहित किसी भी माध्यम से कोई सूचना नहीं दी गई थी। प्रतिवादी-अधिकारी छबीला के स्थान पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के लिए बाध्य थे और साथ ही छँटनी किये गये कर्मचारी होने के कारण गजा नंद को भी नियुक्त करने के लिए बाध्य थे। छबीला और गजा नंद को नियुक्त करते समय उन्हें अवसर नहीं दिया गया, हालांकि अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों के मद्देनजर, प्रतिवादी-अधिकारी याचिकाकर्ता को दैनिक वेतन पर नियुक्त करने के लिए बाध्य थे, जो अन्य व्यक्तियों को वरीयता देते थे जो छंटनी किए गए कर्मचारी थे। धूपसिंह, ब्रह्मा नंद, तुल बहादुर और जय भगवान को 1989 में सब डिवीजन नंबर 3 पर नियुक्त किया गया था। वे अभी भी सेवा में बने हुए हैं, जबकि याचिकाकर्ता, जो जुलाई 1988 में शामिल हुए थे, को संविधान के

अनुच्छेद 14 तथा 16 के उल्लंघन में सेवा से बाहर कर दिया गया है। याचिकाकर्ता छँटनी किया गया कर्मचारी है जिसको सिर्फ अपने चहेतों को समायोजित करने के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है। दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की रिक्तियां हैं जिन्हें नियमावली के नियम 78 का अनुपालन किये बगैर भरा जा रहा है. इस रिट याचिका में शामिल कानून के मुख्य प्रश्न इस प्रकार हैं:-

(क) क्या प्रतिवादी अधिकारी अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं, जब याचिकाकर्ता जैसे छंटनीग्रस्त कर्मचारी की सेवाएं उनके लिए उपलब्ध हैं?

(ख) क्या नियमावली के नियम 78 का उल्लंघन कर की गयी नियुक्ति वैध है ?

(सी) क्या प्रतिवादी अधिकारी याचिकाकर्ता को अन्य छंटनी किए गए कर्मचारियों की तुलना में दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं?

(डी) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का पालन किए बिना याचिकाकर्ता की छंटनी बरकरार रखी जा सकती है?

(3) उत्तरदाताओं संख्या 2 और 3 की ओर से दायर संयुक्त लिखित बयान में, यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को अलग-अलग तिथियों से अलग-अलग अवधि के लिए दैनिक वेतन/मस्टर रोल/एक महीने की मंजूरी के आधार पर लगाया गया है। उनकी सेवाओं की समाप्ति की तारीख से ठीक पहले 12 कैलेंडर महीनों के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि, उनकी सेवा में अंतराल को दर्शाने वाले अनुबंध आर- 1 के अनुसार केवल 212 दिन बनती है। उन्होंने जुलाई, 1988 में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से 12 कैलेंडर महीनों में 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी नहीं की है। याचिकाकर्ता को कोई नियमित नियुक्ति पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह उपरोक्त आधार पर कार्यरत थे। उन्हें उपायुक्त, भिवानी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार उनकी मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह 'कर्मचारी' की परिभाषा में नहीं आता है और न ही दैनिक कार्य का नवीनीकरण अधिनियम के अर्थ में छंटनी के समान है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति कार्य की मात्रा को ध्यान में रखकर की जाती है। याचिकाकर्ता की सेवाएँ अब आवश्यक न होने के कारण समाप्त कर दी गईं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग उद्योग नहीं है और इस प्रकार, वह 'कर्मचारी' की परिभाषा में नहीं आता है और इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों के लाभों का हकदार नहीं है। छबीला को 1 दिसंबर, 1990 को दैनिक वेतन/मस्टर रोल/एक महीने की मंजूरी के आधार पर नियुक्त किया गया था। गजानंद को 8 दिसंबर, 1990 को दैनिक वेतन/मस्टर रोल/एक महीने की मंजूरी के आधार पर नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाएं 1 अप्रैल, 1991 से समाप्त कर दी गई हैं। विभाग ने कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 को दैनिक वेतन पर

नियुक्त करते समय याचिकाकर्ता को ऐसी कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। नियमों का नियम 78 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। चूंकि याचिकाकर्ता को नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए वह नई नियुक्ति के लिए दावा करने का हकदार नहीं है। धूप सिंह को 11 सितंबर, 1989 को दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था और 1990 के सीडब्ल्यूपी नंबर 9315 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे के कारण, उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी। इसी प्रकार, ब्रह्मा नंद, तुल बहादुर और जय भगवान, जो 7 मई, 1989, 11 सितंबर, 1989 और अप्रैल, 1989 को दैनिक वेतन पर लगे थे, को सीडब्ल्यूपी नंबर 681 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे के कारण सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी। क्रमशः 1990 का, 1990 का 9315 और 1990 का 681। इन परिस्थितियों को देखते हुए, उत्तर देने वाले प्रतिवादी की कार्रवाई उचित है और 'पहले आओ, आखिरी जाओ' के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। अंत में, यह प्रार्थना की गई है कि इस याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए।

(4) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है।

(5) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री मनी राम वर्मा ने बड़े ही वाक्पटुता के साथ आग्रह किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग एक 'उद्योग' है, याचिकाकर्ता एक 'कर्मचारी' है जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है। उन्हें जुलाई, 1988 में नियुक्त किया गया था। उन्हें 30 नवंबर, 1990 के बाद बिना कोई नोटिस जारी किए और बिना कोई छंटनी मुआवजा दिए काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अधिनियम की धारा 25-जी और एच के साथ-साथ नियम 78 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए, प्रतिवादी-अधिकारियों ने जनवरी 1991 में छबीला के साथ-साथ गजानंद को भी नियुक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि धूप सिंह, ब्रह्मा नंद, तुल बहादुर और जय भगवान को 1989 में दैनिक वेतन पर लगाया गया था, जो जाहिर तौर पर याचिकाकर्ता के बाद का है, लेकिन वे सभी अभी भी सेवा में बने हुए हैं, हालांकि याचिकाकर्ता को वापस नहीं लिया गया है।उन्होंने दलीलों के दौरान इस बात पर जोर दिया कि उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 का मुख्य आधार यह है कि अनुबंध आर-एल के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी नहीं की है और ऐसा होने पर, वह किसी भी लाभ का हकदार नहीं है। अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत, लेकिन धारा 25-जी और एच के प्रावधानों के अनुसार, 'कार्यकर्ता' को पुनः नियुक्त या बहाल होने के लिए 240 दिनों की निरंतर सेवा की इस शर्त को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में की गई टिप्पणियाँ: हरियाणा राज्य बनाम दिलबाग सिंह (1), अशोक कुमार बनाम एम.सी.डी. (2), पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, अमृतसर और अन्य (3), पंजाब राज्य अपने सचिव, श्रम के माध्यम से, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य बनाम जसवन्त सिंह और अन्य (4), और यू.पी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पूरन चंद्र पांडे और अन्य (5)।

(6) श्री तरूणवीर वशिष्ठ, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा ने शुरू में इस तर्क का विरोध करते हुए आग्रह किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग उद्योग नहीं है, याचिकाकर्ता अधिनियम में निर्धारित 'कर्मचारी' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अनुबंध आर-एल के अनुसार, उनकी सेवाओं की समाप्ति की तारीख से ठीक पहले 12 कैलेंडर महीनों के दौरान उनकी निरंतर सेवा 212 दिन है, वह अधिनियम के तहत राहत के हकदार नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक गजा नंद का संबंध है, उनकी सेवाएं 1 अप्रैल, 1991 से समाप्त कर दी गई हैं, उनका नाम उत्तरदाताओं की सूची से हटा दिया गया है और जहां तक धूप सिंह, ब्रह्मा नंद, तुल बहादुर और जय भगवान हैं। चिंतित, इन कामगारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर इस न्यायालय द्वारा स्थगन दिए जाने के बावजूद, वे सेवा में बने रहे। उन्होंने बार में आगे कहा कि याचिकाकर्ता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए वह अधिनियम की धारा 25-जी और 25-एच के प्रावधानों के तहत कोई राहत नहीं मांग सकता है।

(7) श्री वर्मा ने तर्क दिया कि कुछ समय के लिए, यदि यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता ने अपनी छंटनी की तारीख से ठीक पहले 12 कैलेंडर महीनों में 240 दिन पूरे नहीं किए, फिर भी वह धारा 25-जी और 25 - एच के प्रावधानों को लागू करने का हकदार है ।

(8) मैंने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर अच्छी तरह विचार किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग 'उद्योग' के दायरे में आता है।

(9) दिलबाग सिंह के मामले के संदर्भ में, प्रतिवादी PWD (B&R) में बेलदार के रूप में कार्यरत था। उनकी सेवाएं 25 दिसंबर, 1999 को समाप्त कर दी गईं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, श्रम न्यायालय ने यह माना कि प्रतिवादी से कनिष्ठ व्यक्ति अभी भी काम कर रहा है, जबकि प्रतिवादी की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और इस प्रकार, उल्लंघन हुआ था अधिनियम की धारा 25-जी और 25-एच। शीर्ष अदालत ने कहा कि "ट्रिब्यूनल का यह स्पष्ट निष्कर्ष है कि धरम सिंह के बेटे कृष्ण जैसा व्यक्ति, जो प्रतिवादी से कनिष्ठ है, अभी भी प्रबंधन के साथ काम कर रहा है, जबकि प्रतिवादी की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। यह भी आरोप है कि महाबीर नाम का एक अन्य व्यक्ति जो प्रतिवादी से कनिष्ठ है, अभी भी प्रबंधन के साथ काम कर रहा है। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने अधिनियम की धारा 25-जी और 25-एच का उल्लंघन पाया था। तथ्य के इस निष्कर्ष को प्रबंधन द्वारा खंडित नहीं किया गया है और ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी। इसलिए, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है। प्रतिवादी को बहाल कर दिया जाएगा लेकिन इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वह किसी भी बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा। अपीलकर्ता इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर प्रतिवादी की नियुक्ति का आदेश जारी करेगा।

(10) आगे इस मामले में: जसवन्त सिंह और अन्य (सुप्रा), इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना कि "वर्तमान मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तथ्य की एक स्पष्ट खोज दर्ज की गई है कि प्रतिवादी-कर्मचारी से कनिष्ठ व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखा गया था, जबकि उसकी छंटनी कर दी गई थी और उस खोज को चुनौती नहीं दी गई है।"

(11)पुन: अशोक कुमार (सुप्रा) में, यह माना गया है कि "अधिनियम की धारा 25-जी और एच के आवेदन के लिए 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी करना पूर्व-आवश्यकता नहीं है।"

(12) मामले के तथ्यों के आधार पर, यदि अनुबंध आर-एल के आधार पर, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी नहीं की है, इसके बावजूद कि अधिनियम की धारा 25-जी और एचके प्रावधानों की आवश्यकता थी उत्तरदाताओं-अधिकारियों द्वारा अनुपालन किया गया।

(13) पुनः: जसवन्त सिंह और अन्य में भी यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 25-जी और एच के प्रावधानों को लागू करने के लिए 240 दिन पूरा करना आवश्यक नहीं है। यदि कनिष्ठों को बरकरार रखा गया, तो वरिष्ठ की समाप्ति टिकाऊ नहीं होगी। सिद्धांत है 'पहले आओ आखिरी जाओ'। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम एस. सत्यम (6) के मामले में, शीर्ष अदालत ने यह माना है कि "धारा 25-जी छंटनी के लिए सिद्धांत निर्धारित करती है और आम तौर पर 'अंतिम आओ पहले जाओ' के सिद्धांत को लागू करती है जो यहीं तक सीमित नहीं है। केवल उन कामगारों के लिए, जो धारा 25-एफ के अंतर्गत आने वाले कम से कम एक वर्ष से लगातार सेवा में हैं। इन टिप्पणियों के मद्देनजर, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 के लिए यह अनिवार्य था कि वे पहले याचिकाकर्ता को और फिर अन्य को नियुक्ति दें। नियमावली के नियम 78 के अनुपालन के बारे में लिखित बयान भी मौन है. लिखित बयान से पता चलता है कि याचिकाकर्ता छबीला, गजानंद, धूप सिंह, ब्रह्मा नंद, तुल बहादुर और जय भगवान को छंटनी के बाद नियोजित किया गया था। गजा नंद को छोड़कर शेष अभी भी सेवा में बने हुए हैं।उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 ने याचिकाकर्ता पर प्राथमिकता देकर नियुक्ति आदेश देने के लिए नाम के लायक कोई कारण नहीं बताया है। माना कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के बाद छबीला और अन्य को नौकरी मिली थी। अधिनियम की धारा 25-जी में निहित सिद्धांत है "पहले आओ आखिरी जाओ।" यदि रिक्तियों की कमी के कारण याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं, तो उस स्थिति में, जब भी रिक्ति आती, लिखित रूप से सूचना भेजकर याचिकाकर्ता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। जब

छंटनी किए गए कर्मचारी यानी याचिकाकर्ता की सेवाएं उपलब्ध थीं, तो प्रतिवादी-अधिकारी दूसरों को नियुक्त नहीं कर सकते थे। इस प्रकार, छबीला और अन्य की नियुक्तियाँ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। प्रतिवादी-अधिकारी एक छंटनीग्रस्त कर्मचारी होने के कारण याचिकाकर्ता को अन्य व्यक्तियों की तुलना में दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं। हालाँकि याचिकाकर्ता-कर्मचारी ने अपनी सेवा समाप्ति की तारीख से ठीक पहले 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी नहीं की थी, फिर भी उसकी छंटनी इस कारण से अमान्य कर दी गई थी कि उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखा गया था,

जबकि उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत के मामले में ही 240 दिनों की सेवा की आवश्यकता आवश्यक है। याचिकाकर्ता की यह दलील कि उसे अन्य को नियुक्त करने से पहले नियम 78 के तहत आवश्यक कोई पंजीकृत नोटिस जारी नहीं किया गया था, लिखित बयान में विशेष रूप से खंडित नहीं किया गया है। यदि ऐसा नोटिस जारी किया गया होता, तो उस डाक रसीद का संदर्भ होता, जिसके माध्यम से इसे भेजा गया था। इस प्रकार, कम से कम यह कहने के लिए, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 ने अधिनियम की धारा 25-जी और 25-एच के प्रावधानों के साथ-साथ नियम 78 का घोर उल्लंघन किया है।

(14) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, यह याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 तक को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करके उसे बहाल किया जाए। . हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की ख़ासियत को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता किसी भी बकाया वेतन या मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमितउपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी, हरियाणा।